प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 32/2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति - 2024 के निर्माण के लिए इनपुट' पर अनुशंसाएँ जारी की

नई दिल्ली, 20 जून 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024' के निर्माण के लिए इनपुट पर अनुशंसाएँ जारी की हैं।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने अपने पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 के माध्यम से भादूविप्रा से राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत अपने सुविचारित इनपुट प्रदान करने का अनुरोध किया है।

3. पहले कदम के रूप में, भादूविप्रा ने 21 सितंबर 2023 को एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया, ताकि उन मुद्दों पर प्रकाश डाला जा सके जिन पर राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण के लिए विचार किया जाना आवश्यक था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके साथ हुई चर्चा के आधार पर, भादूविप्रा ने 2 अप्रैल 2024 को 'राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के निर्माण के लिए इनपुट' पर परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 20 प्रश्न उठाए।. भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं, संगठनों, उद्योग संघों, उपभोक्ता वकालत समूहों और कुछ व्यक्तियों सहित 42 हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

4. ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) 15 मई 2024 को आयोजित की गई थी। ओएचडी के बाद कुछ अतिरिक्त टिप्पणियाँ भी प्राप्त हुईं। सरकार को अनुशंसाएँ निर्धारित करते समय टिप्पणियों, ओएचडी प्रस्तुतियों और अतिरिक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है और उन पर विधिवत विचार किया गया है।

5. प्रसारण क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की भारी क्षमता है। प्रसारण नीति के निर्माण के लिए इनपुट पर सिफारिशों ने उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में देश के प्रसारण क्षेत्र के लिए नियोजित विकास और वृद्धि के लिए विजन, मिशन, लक्ष्य और रणनीतियों को निर्धारित किया है।

6. नीति का उद्देश्य प्रसारण में शामिल हितधारकों के हितों की रक्षा करते हुए, लागत-प्रभावी तरीके से उपभोक्ताओं को एक इमर्सिव और समृद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए उभरती

प्रौद्योगिकियों को शीघ्रता से अपनाकर क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख हितधारकों, जैसे की केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें और एजेंसियां, टेलीविजन और रेडियो प्रसारकों, ओटीटी सेवा प्रदाता, कंटेंट निर्माता, वितरक, उपकरण निर्माता, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान, स्टार्टअप और छोटे और मध्यम उद्यमों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

7. प्राधिकरण ने राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 के लिए निम्नलिखित विजन, मिशन और लक्ष्यों की सिफारिश की है।

विजन

प्रसारण क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए एक प्रतिस्पर्धी, किफायती और सर्वव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है, समावेशिता और साक्षरता को सक्षम बनाता है, निवेश को आकर्षित करता है, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करता है, विकास करता है। सहनशील स्वदेशी बुनियादी ढांचा, उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाता है, रोजगार पैदा करता है और भारत की सॉफ्ट इमेज को मजबूत करने और विश्व स्तर पर 'ब्रांड इंडिया' को स्थापित करने के लिए नवीनीकरण और सहयोग के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है।

मिशन

प्रसारण क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों पर विशेष ध्यान देने के साथ 10 वर्षों के लिए व्यापक रोडमैप को तैयार करना है। राष्ट्रीय प्रसारण नीति-2024 में निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने की परिकल्पना की गई है:

क. विकास को बढ़ावा देना

- डेटा-संचालित शासन के माध्यम से विकास-उन्मुख नीतियों और विनियमों को सक्षम करके एक मजबूत प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना।
- अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी नवीनीकरण और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने वाले एक लचीले, अनुकूली और तकनीकी-कुशल बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना।
- समान अवसर और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करना, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना और सभी तक प्रसारण सेवाओं की पहुंच को सक्षम करके आर्थिक

विकास को प्रोत्साहित करना, भारत को टेलीविजन चैनलों के लिए 'अपलिंकिंग हब' के रूप में स्थापित करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

ख. कंटेंट को बढ़ावा देना

- टेलीविजन, रेडियो और ओटीटी प्रसारण सेवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कंटेंट उत्पादन और वितरण का समर्थन करना, उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करके स्थानीय और वैश्विक स्तर पर भारतीय कंटेंट के प्रसार को प्रोत्साहित करना और भारत को 'वैश्विक कंटेंट हब' बनाना।
- भारत को कंटेंट निर्माण के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
- जनसाधारण को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण में गुणवत्तापूर्ण कंटेंट उत्पादन को सक्षम बनाना।
- फिल्मों, एनीमेशन, दृश्य प्रभावों, गेमिंग, संगीत और अत्याधुनिक पोस्ट-प्रोडक्शन बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारतीय कंटेंट के विकास को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना।

ग. हितों की रक्षा करना

- कॉपीराइट संरक्षण के माध्यम से पाइरेसी का मुकाबला करना और कंटेंट निर्माताओं और बौद्धिक संपदा धारकों के अधिकारों की रक्षा करना।
- समाज के सभी वर्गों तक सूचना प्रसारित करने के लिए जागरूकता और सक्षम प्रावधान सुनिश्चित करके सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना और हरित प्रसारण प्रथाओं और आपदा तैयारी के माध्यम से पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को पूरा करना

लक्ष्य

क. विकास को बढ़ावा देना: एक मजबूत प्रसारण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना

- डेटा-संचालित नीति निर्णयों को सक्षम करने के लिए विभिन्न प्रमुख आर्थिक मानकों के आधार पर क्षेत्र के प्रदर्शन को मापना
- कवर न किए गए घरों तक टेलीविजन प्रसारण सेवाओं की पहुंचाना और पहुंच को सक्षम बनाना
- कवर न किए गए क्षेत्रों में रेडियो कवरेज सक्षम करना
- प्रसारण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना और आईपीआर सुरक्षित करना
- स्वदेशी प्रसारण प्रौद्योगिकियों और उपकरणों सहित नई प्रौद्योगिकियों के विनिर्माण और अपनाने को बढ़ावा देना

- कार्यबल को नए युग के कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना
- नवप्रवर्तन-आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना और छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना
- आर्थिक विकास के लिए अनुकूल नीतियों और विनियामक प्रथाओं को बढ़ावा देना
- भारत को टेलीविजन चैनलों का 'अपलिंकिंग हब' बनाना
- डिजिटल स्थलीय प्रसारण का एक मानार्थ प्रसारण तकनीक के रूप में लाभ उठाना
- प्रभावी दर्शक मापन और रेटिंग प्रणाली स्थापित करना

ख. कंटेंट को बढ़ावा देना: वैश्विक स्तर पर भारतीय कंटेंट की पहुंच को प्रोत्साहित करना

- भारत को कंटेंट निर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना
- सार्वजनिक सेवा प्रसारण को मजबूत करना
- डिजिटल रेडियो प्रसारण के माध्यम से कंटेंट प्रसार को सुगम बनाना
- ओटीटी प्रसारण सेवाओं के माध्यम से भारतीय कंटेंट के विकास और प्रसार का समर्थन करना
- फिल्मों, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और संगीत के माध्यम से भारतीय कंटेंट उत्पादन का समर्थन करना

ग. हितों की रक्षा: कंटेंट निर्माता अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक-पर्यावरणीय हितों की रक्षा और आपदा राहत तैयारियों के लिए प्रसारण का लाभ उठाना

- कॉपीराइट सुरक्षा के माध्यम से कंटेंट सुरक्षा लागू करें
- सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को संबोधित करें
- आपदाओं के दौरान प्रसारक की भूमिका को पहचानें

8. प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कई रणनीतियों की सिफारिश की गई है, जिनका विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर दी गई अनुशंसाएँ में उपलब्ध है।

9. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: advbcs-2@trai.gov.in या टेलीफोन +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

(महेंद्र श्रीवास्तव)
सचिव, (I/C) भादूविप्रा